क्रमांक 41/90/88-9 जी० एस०-II

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़ ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष ।
2. आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल ।
3. सभी उपायुक्त व उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) ।
4. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक 11-9-89

विषय :—सेवा अवधि के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान तथा अन्य सुविधाएं देना ।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 16/2/3 जी० एस०-II-79 दिनांक 22 फरवरी, 1979 की ओर दिलाने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में लापता तथा गुमशुदा कर्मचारियों के एक आश्रित सदस्य को नौकरी की सुविधा गुमशुदा/लापता कर्मचारी के लापता होने की तिथि से 2 वर्ष के पश्चात उपलब्ध कराने बारे विचार किया जाएगा बशर्ते इस मामले में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो जाती है ।

हस्ता/—

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी वित्तायुक्तों, आयुक्त एवं सचिवों तथा सचिवों को सूचनार्थ तथा आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है ।

हस्ता/—

उप सचिव, हरियाणा सरकार,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

हरियाणा के सभी वित्तायुक्त, आयुक्त एवं सचिव तथा सचिव ।

अशा: क्रमांक 41/90/88-6 सामान्य सेवाएं-II दिनांक 11-9-89